न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या– 05 / 24

तारीख रज्जू–13 / 05 / 24

1 विक्रम पुत्र भीठया जाति गुर्जर निवासी फराशपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2 धारासिंह पुत्र भूरमल जाति गुर्जर निवासी फराशपुर तहसील गंगापुर सिटी।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी।

– रेसपोडेन्ट

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 20.08.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अर्न्तगत नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल सं0 93 / 2023 में पारित निर्णय दिनांक **19.03.2024** के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम फरासपुर के आराजी **ख0नं0 246** कुल रकबा 0.50 है0 किस्म गै0मु0 चाही 3 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति अरोपित करने के दण्ड से एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। उक्त वाद आराजीयात अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है, मन्दिर का नाम गलत दर्ज किया गया है। जिसके इन्द्राज दुरूस्ती का मुकदमा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया गया है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सजायाब करने व बेदखली के आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। साथ ही विद्वान वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर श्री गंगाजी विराजमान गंगापुर सिटी की खातेदारी से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त भूमि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खालसा दर्ज कर दी गयी थी। संवत् 2012 से पूर्व से ही अपीलार्थीगण के पूर्वज उक्त भूमि के उपकृषक थे तथा उप कृषक होने के कारण ही जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत अपीलार्थीगण के पूर्वजों को उक्त भूमि का विधिक रूप से खातेदार घोषित कर दिया तथा अपीलार्थी के पूर्वजों को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। तभी से उक्त भूमि पर अपीलार्थी के पूर्वजों व उनके मरने के बाद अपीलार्थी का खातेदार की हैसियत से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। लेकिन

20/8/24

दौराने सेटलमेन्ट विभाग वालों ने गलत रूप से बिना किसी अधिकार के अपीलार्थी के खातेदारी भूमि को मन्दिर श्री गोविन्द देव जी के नाम दर्ज कर दिया है। इसलिये अपीलार्थी के खिलाफ की गयी कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे। अपीलार्थी की ओर से राज्य सरकार एवं रेवन्यु बोर्ड द्वारा जारी किये गये प्रपत्र सन् 2007,2010 व 2011 तहसीलदार को पेश किये गये थे। जिनमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत खातेदार,पट्टेदार ,खादीगदार को यदि संवत् 2012 में मन्दिर की भूमि पर कब्जा है तो उसे खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जावे तथा एक बार खातेदारी प्रदान करने के बाद पुनः उक्त भूमि को मन्दिर के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। इस संबंध में भी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की लार्जर बैच एवं रेवन्यु बोर्ड की डबल बैच ने भी यही मत प्रतिपादित किया है कि खातेदार ,पट्टेदार,खादीगदार को एक बार खातेदारी अधिकार दिये जाने के उपरान्त उसे मन्दिर के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा कानूनी प्रावधानों को पूरी तरह से अवहेलना कर अपीलार्थी को उक्त भूमि से बेदखल के आदेश प्रदान कर दिये जो निरस्त योग्य है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने आरआरडी 14.02.2015 पेज नं0 91 राजस्थान सरकार बनाम रामदेव वगै0, आरआरटी 2024 (1) पेज नं0 610 चेतराम बनाम मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज नजीरे पेश करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.03.2024 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अपीलार्थी द्वारा सम्वत् 2079 में भी उक्त वाद आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी का मौके से बेदखल भी किया गया था। अपीलार्थी बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। उक्त वाद आराजीयात राजस्व रिकोर्ड में मंदिर श्री गंगाजी के नाम से दर्ज रिकोर्ड है। जिसका अपीलार्थी की खातेदारी से कोई संबंध व वास्ता नही है। अपीलार्थी द्वारा वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त वाद आराजीयात पर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया हुआ है। यदि अपीलार्थी की सजा माफ की जाती है तो अन्य लोगों को भी अतिक्रमण करने में बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपने बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 174 दिनांक 02.08.2024 द्वारा संलग्न पटवारी हल्का से प्राप्त नवीनतम मौका रिपोर्ट दिनांक 31.07.2024 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा ख0नं0 246 रकबा 0.50है0 ग्राम फरासपुर में वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा बाजरा की फसल काश्त करना अवगत कराया है। अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र वर्ष

(seal: जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.))

20/8/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

2008,2010,2011 का दौराने बहस हवाला दिया है। जबकि उक्त परिपत्रों के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त वाद आराजीयात राजस्व रिकोर्ड के अनुसार वर्तमान में मंदिर माफी भूमि दर्ज है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा उक्त वाद आराजीयात पर जारी किये गये स्थगन आदेश दिनांक 01.04.2024 की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त स्थगन आदेश का अवलोकन किया गया उक्त स्थगन आदेश अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय के पश्चात का हैं।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/8/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)